



पत्र संख्या—प्र०—प्र०—०२ / ९२..... ४७६ / रा०

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (राजभाषा)।

पटना दिनांक—.....

विषय:- 'हिन्दी दिवस' समारोह 14 सितम्बर, 2023 को मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

14 सितम्बर, 1949 को हमारे देश की संविधान-सभा द्वारा देवनागरी-लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी-भाषा को केन्द्र-सरकार के काम-काज के निष्पादन के माध्यम की दृष्टि से राजभाषा के रूप में अंगीकृत किए जाने के फलस्वरूप, उस ऐतिहासिक दिन की याद में, प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी-दिवस मनाया जाता है।

उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा 'हिन्दी दिवस' समारोह का आयोजन वर्षों से किया जा रहा है। राजभाषा हिन्दी की महत्ता एवं उसके व्यापक प्रचार-प्रसार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकार की ओर से 'हिन्दी दिवस' राज्य के सभी प्रमंडलों, जिला मुख्यालयों, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में भी सुनियोजित ढंग से मनाया जाय।

'हिन्दी दिवस' के अवसर पर राजभाषा हिन्दी से संबंधित संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का भी आयोजन किया जा सकता है एवं समारोह में भाग लेने के लिए सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त गण्यमान्य विद्वानों एवं जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2023 को सभी प्रमंडलों/जिला मुख्यालयों/अनुमंडलों एवं प्रखंडों में 'हिन्दी दिवस' समारोह आयोजित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

१०/६/२०२३
 (डॉ० एस० सिद्धार्थ)
 अपर मुख्य सचिव